Patent and Rights of Intellectual Property

संदर्भ –

मनुष्य अपनी बु द्ध से कई तरह के आ वष्कार और नई रचनाओं को जन्म देता हैं। उन वशेष आ वष्कारों पर उसका पूरा अ धकार भी है ले कन उसके इस अ धकार का संरक्षण हमेशा से चंता का वषय भी रहा हैं। यहीं से बौ द्धक संपदा और बौ द्धक संपदा अ धकारों की बहस प्रारंभ होती है। यदि हम मौ लक रूप से कोई रचना करते हैं और इस रचना का कसी अन्य व्यक्ति द्वारा गैर कानूनी तरीके से अपने लाभ के लये प्रयोग कया जाता है तो यह रचनाकार के अ धकारों का स्पष्ट हनन हैं।

जब दुनिया में बहस तेज हुई क कैसे बौ द्धक संपदा अ धकारों की रक्षा की जाए तब संयुक्त राष्ट्र के एक अ भकरण वश्व बौ द्धक संपदा संगठन (World Intellectual Property Organization-WIPO) की स्थापना की गई। इस संगठन के प्रयासों से ही बौ द्धक संपदा अ धकार के महत्व को प्रमुखता प्राप्त हुई।

इस आलेख में बौ द्धक संपदा अ धकार, उसके प्रकार, बौ द्धक संपदा के संदर्भ में भारत का नज़रिया और वश्व बौ द्धक संपदा संगठन पर वमर्श करने का प्रयास कया जाएगा।

क्या है बौ द्धक संपदा अ धकार?

- व्यक्तियों को उनके बौ द्धक सृजन के परिप्रेक्ष्य में प्रदान कये जाने वाले अ धकार ही बौ द्धक संपदा अ धकार कहलाते हैं। वस्तुतः ऐसा समझा जाता है क यदि कोई व्यक्ति कसी प्रकार का बौ द्धक सृजन (जैसे साहित्यिक कृति की रचना, शोध, आ वष्कार आदि) करता है तो सर्वप्रथम इस पर उसी व्यक्ति का अनन्य बौ द्धक सृजन के लये ही दिया जाता है, अतः इसे बौ द्धक संपदा अ धकार की संज्ञा दी जाती हैं।
- बौ द्धक संपदा से अ भप्राय है - नैतिक और वा णज्यिक रूप से मूल्यवान बौ द्धक सृजन। बौ द्धक संपदा अ धकार प्रदान कये जाने का यह अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिये क अमुक बौ द्धक सृजन पर केवल और केवल उसके सृजनकर्ता का सदा-सर्वदा के लये अ धकार हो जाएगा। यहाँ पर ये बताना आवश्यक है क बौ द्धक संपदा अ धकार एक निश्चित समयाव ध और एक निर्धारित भौगो लक क्षेत्र के मद्देनज़र दिये जाते हैं।
- बौ द्धक संपदा अ धकार दिये जाने का मूल उद्देश्य मानवीय बौ द्धक सृजनशीलता को प्रोत्साहन देना हैं। बौ द्धक संपदा अ धकारों का क्षेत्र व्यापक होने के कारण यह आवश्यक समझा गया क क्षेत्र वशेष के लये उसके संगत अ धकारों एवं संबद्ध नियमों आदि की व्यवस्था की जाए।

RAO'S ACADEMY for Competitive Exams (A unit of RACE)

बौ द्धक संपदा अ धकारों के प्रकार

- कॉपीराइट
    - कॉपीराइट अ धकार के अंतर्गत कतावें, चत्रकला, मूर्तिकला, सनेमा, संगीत, कंप्यूटर प्रोग्राम, डाटाबेस, वज्ञापन, मान चत्र और तकनीकी चत्रांकन को सम्मि लत कया जाता हैं।
    - कॉपीराइट के अंतर्गत दो प्रकार के अ धकार दिये जाते हैं: (क) आा र्थक अ धकार: इसके तहत व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा उसकी कृति का उपयोग करने के बदले वत्तीय पारितो षक दिया जाता हैं। (ख) नैतिक अ धकार: इसके तहत लेखक/रचनाकार के गैर-आ र्थक हितों का संरक्षण कया जाता हैं।

- कॉपीलेफ्टः इसके अंतर्गत कृतित्व की पुनः रचना करने, उसे अपनाने या वतरित करने की अनुमति दी जाती है तथा इस कार्य के लये लेखक/रचनाकार द्वारा लाइसेंस दिया जाता हैं।

- पेटेंट
  - जब कोई आ वष्कार होता है तब आ वष्कारकर्ता को उसक लये दिया जाने वाला अनन्य अ धकार पेटेंट कहलाता हैं। एक बार पेटेंट अ धकार मलने पर इसकी अव ध पेटेंट दर्ज़ की ति थ से 20 वर्षों के लये होती हैं।
  - आ वष्कार पूरे वश्व में कहीं भी सार्वजनिक न हुआ हो, आ वष्कार ऐसा हो जो पहले से ही उपलब्ध कसी उत्पाद या प्र क्रया में प्रगति को इं गत न कर रहा हो तथा वह आ वष्कार व्यावहारिक अनुप्रयोग के योग्य होना चाहिये, ये सभी मानदंड पेटेंट करवाने हेतु आवश्यक हैं।
  - ऐसे आ वष्कार (जो आक्रामक, अनैतिक या असामाजिक छ व को उकसाते हों तथा ऐसे आ वष्कार जो मानव या जीव-जंतुओं में रोगों के लक्षण जानने के लये प्रयुक्त होते हों) को पेटेंट का दर्जा नहीं मलेगा।

- ट्रेडमार्क
  - एक ऐसा चन्ह जिससे कसी एक उद्यम की वस्तुओं और सेवाओं को दूसरे उद्यम की वस्तुओं और सेवाओं से पृथक कया जा सके, ट्रेडमार्क कहलाते हैं।
  - ट्रेडमार्क एक शब्द या शब्दों के समूह, अक्षरों या संख्याओं के समूह के रूप में हो सकता हैं। यह चत्र, चन्ह, त्रि वमीय चन्ह जैसे संगीतमय ध्वनि या व शष्ट प्रकार के रंग के रूप में हो सकता हैं।

- औद्यो गक डज़ाइन
  - भारत में डज़ाइन अ धनियम, 2000 के अनुसार, 'डज़ाइन' से अ भप्राय है - आकार, अनुक्रम, वन्यास, प्रारूप या अलंकरण, रेखाओं या वर्णों का संघटन जिसे कसी ऐसी वस्तु पर प्रयुक्त कया जाए जो या तो द् वतिय रूप में या त्रि वमीय रूप में अथवा दोनों में हो।

- भौगो लक संकेतक
  - भौगो लक संकेतक से अ भप्राय उत्पादों पर प्रयुक्त चन्ह से हैं। इन उत्पादों का व शष्ट भौगो लक मूल स्थान होता है और उस मूल स्थान से संबद्ध होने के कारण ही इनमें व शष्ट गुणवत्ता पाई जाती हैं।
  - व भन्न कृ ष उत्पादों, खाद्य पदार्थों, मदिरापेय, हस्त शल्प को भौगो लक संकेतक का दर्जा दिया जाता हैं। तिरूपति के लड्डू, कश्मीरी केसर, कश्मीरी पश्मीना आदि भौगो लक संकेतक के कुछ उदाहरण हैं।
  - भारत में वस्तुओं का भौगो लक संकेतक अ धनियम, **1999** बनाया गया हैं। यह अ धनियम वर्ष 2003 से लागू हुआ। इस अ धनियम के आधार पर भौगो लक संकेतक टैग यह सुनिश्चित करता है क पंजीकृत उपयोगकर्ता के अतिरिक्त अन्य कोई भी उस प्रच लत उत्पाद के नाम का उपयोग नहीं कर सकता हैं।
  - वर्ष 2015 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई 'उस्ताद योजना' के माध्यम से शल्पकारों के परंपरागत कौशल का उन्नयन कया जाएगा। उदाहरण के लये बनारसी साड़ी एक भौगो लक संकेतक हैं। अतः उस्ताद योजना से जुड़े बनारसी साड़ी के शल्पकारों के सामाजिक-आ र्थक सशक्तिकरण की अपेक्षा की जा सकती हैं।

RAO'S ACADEMY for Competitive Exams (A unit of RACE)

भारतीय बौ द्धक संपदा अ धकार व्यवस्था की खा मयाँ

- सामान्यत: बहुत से वशेषज्ञों का मानना है क भारत-अमेरिका व्यापार में अपे क्षत प्रगति न हो पाने का जिम्मेदार भारत की बौ द्धक संपदा अ धकार व्यवस्था में व्याप्त खा मयाँ हैं। हालाँक इस बात में पर्याप्त सच्चाई नहीं हैं, ले कन फर भी इसी बहाने हमारे पास भारत की बौ द्धक संपदा अ धकार व्यवस्था को देखने का उपयुक्त मौका हैं।
- ग्रामीण इलाकों में कसानों के पास पर्याप्त सूचना की कमी के चलते उन्हें ये पता नहीं चल पाता क कौन सा कस्म पेटेंट के तहत आता है और कौन सा नहीं। ऐसे में अक्सर कसानों और कॉर्पोरेट्स के बीच टकराव देखने को मलता हैं।
- भारत में पेटेंट करवाना जटिल कार्य हैं। हमारे पेटेंट कार्यालयों के पास शोध से जुड़ी सूचनाओं की कमी रहती हैं।
- कसी शोध का पेटेंट मंजूर करने से पहले यह जानना बहुत ज़रूरी होता है क वह शोध पहले से मौजूद उसी तरह के शोध से बेहतर है या नहीं। इस लहाज़ से निर्धारित समय पर पेटेंट मंजूर करवाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हैं।
- मौजूदा वक्त आर्टि फ शयल इंटेलीजेंस का हैं। अब मशीनें भी इंसानों की तरह सोचने लगी हैं। ऐसे में अगर हम बौ द्धक संपदा अ धकार प्राप्त करने का आधार कला या तकनीकी कौशल को बनाते हैं, तो आने वाले वक्त में ये मशीनें ही अपने नाम पर पेटेंट करवाऍंगी।
- शोध को बढ़ावा देने के लये नजी क्षेत्र को आक र्षत न कर पाना भी एक बड़ी चुनौती हैं।

बौ द्धक संपदा के संरक्षण हेतु कये गए सरकार के प्रयास

- पेटेंट अ धनियम 1970 और पेटेंट (संशोधन) अ धनियम, **2005:** भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1911 में भारतीय पेटेंट और डज़ाइन अ धनियम बनाया गया था। पुन: स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1970 में पेटेंट अ धनियम बना और इसे वर्ष 1972 से लागू कया गया। इस अ धनियम में पेटेंट (संशोधन) अ धनियम, 2002 और पेटेंट (संशोधन) अ धनियम, 2005 द्वारा संशोधन कये गए। इस संशोधन के अनुसार, 'प्रोडक्ट पेटेंट' का वस्तार तकनीक के सभी क्षेत्रों तक कया गया। उदाहरणस्वरूप - खाद्य पदार्थ, दवा निर्माण सामग्री आदि के क्षेत्र में इसे वस्तृत कया गया।
- ट्रेडमार्क अ धनियम, **1999:** भारत में ट्रेडमार्क के लये ट्रेडमार्क एक्ट, 1999 बनाया गया हैं। ट्रेडमार्क एक्ट में शब्द, चन्ह, ध्वनि, रंग, वस्तु का आकार इत्यादि शा मल कया जाता हैं।
- कॉपीराइट अ धनियम, **1957:** वर्ष 1957 में कॉपीराइट अ धनियम बनाकर, बौ द्धक संपदा अ धकारों की रक्षा के लये इस कानून को देशभर में लागू कया गया।
- वस्तुओं का भौगो लक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अ धनियम, 1999: यह कानून सुनिश्चित करता है क पंजीकृत उपयोगकर्ता के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रच लत उत्पाद के नाम का उपयोग न कर सके।
- डज़ाइन अ धनियम, **2000:** सभी प्रकार की औद्यो गक डज़ाइन को संरक्षण प्रदान करता हैं।
- राष्ट्रीय बौ द्धक संपदा अ धकार नीति, **2016:** 12 मई, 2016 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय बौ द्धक संपदा अ धकार नीति को मंजूरी दी थी। इस अ धकार नीति के जरिये भारत में बौ द्धक संपदा को संरक्षण और प्रोत्साहन दिया जाता हैं। इस नीति के तहत सात लक्ष्य निर्धारित कये गए हैं-

RAO'S ACADEMY for Competitive Exams (A UNIT OF RACE)

बौ द्धक संपदा के संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय अ भसमय

- औद्यो गक संपदा के संरक्षण जुड़ा पेरिस कंवेन्शन (1883): इसमें ट्रेडमार्क, औद्यो गक डज़ाइन आ वष्कार के पेटेंट शा मल हैं।
- साहित्यिक और कलात्मक कामों के संरक्षण के लये बर्न कंवेन्शन (1886): इसमें उपन्यास, लघु कथाएँ, नाटक, गाने, ओपेरा, संगीत, ड्राइंग, पेंटिंग, मूर्तिकला और वास्तु शल्प शा मल हैं।
- मराकेश सं ध (2013): इस सं ध के मुताबिक कसी कताब को ब्रेल ल प में छापे जाने पर इसे बौ द्धक संपदा का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इस सं ध को अपनाने वाला भारत पहला देश हैं।

आगे की राह

- भारत की इस वृ द्ध को बनाए रखने के लये भारत को अपने समग्र बौ द्धक संपदा ढॉंचे में परिवर्तनकारी बदलाव लाने की दिशा में अभी और काम करने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं मज़बूत बौ द्धक संपदा मानकों को लगातार लागू करने के लये गंभीर कदम उठाए जाने की भी ज़रूरत हैं।
- संयुक्त राष्ट्र संघ की औद्यो गक वकास संस्था ने अपने एक अध्ययन के द्वारा यह प्रमा णत कया है क जिन देशों की बौ द्धक संपदा अ धकार व्यवस्था सुव्यवस्थित वहॉं आ र्थक वकास तेज़ी से हुआ हैं। अत: यहॉं सुधार की नितांत ही आवश्यकता है।
- भारत को 'पेटेंट, डजाइन, ट्रेडमार्क्स और भौगो लक संकेतक महानियंत्रक' को चुस्त एवं दुरूस्त बनाने की आवश्यकता हैं।

YOUR SUCCESS OUR PRIDE
RAO'S ACADEMY
for Competitive Exams
(A unit of RACE)